सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 25, बुधवार, *शाके* 1941–जनवरी 15, 2020 *Pausa 25, Wednesday, Saka 1941–January 15, 2020*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय ज़िला परिषद् जैसलमेर

अधिसूचना

जैसलमेर, जून 03 2019

संख्या 211:-राज्य सरकार की अपेक्षा पर, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विरचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (यच) (zf) एवं (यछ) (zg) के उपखण्ड (ix) सपठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-103 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ज़िला परिषद्, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार की समस्त ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, जनहित में ज़िला परिषद्, जैसलमेर एतद् द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः- (i) ये उपविधियां जैसलमेर ज़िला परिषद् (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ, 2019 कहलायंगी।

(ii) ये उपविधियाँ राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस पश्चात् से प्रवृत्त होंगी।

2. लागू होना:- ये उपविधियां ज़िला परिषद्, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार की समस्त ग्राम पंचायतों के सीमा क्षेत्र में प्रभावषील होगी ।

3. परिभाषाएँ:- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

(i). "जैविक रुप से अपघटित अपशिष्ट'' से कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है;

(ii). "ज्वलनशील अपशिष्ट'' से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर-जैवअवक्रमणीय, गैर-पुर्नर्चक्रणीय, गैर-पुनःउपभोज्य, गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(iii). "घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट'' से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, टयूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुई पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सूइयां, तथा सिरींज और संदूषित पट्टियां आदि अभिप्रेत है;

(iv). "शुष्क अपशिष्ट'' से जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूडा-करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्य अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी है;

(v). ''प्राथमिक संग्रहण'' से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्त्रोत जिसके अंतर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी है से या किसी संग्रहण बिंदु

या ग्राम पंचायत द्वारा विर्निदिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है;

(vi). ''प्रसंस्करण'' से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनः चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;

(vii). ''पुनर्चक्रण'' से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों को उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रुप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरुप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;

(viii). ''स्वास्थ्यकर अपशिष्ट'' से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकर तौलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कन्डोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरुप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(ix). ''ठोस अपशिष्ट'' से ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ठ अभिप्रेत है और इनके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में वर्णित अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है;

(x). ''स्थिरीकरण'' से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपद्यटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरुचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, भू-कटाव नियंत्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है;

(xi). "वातजीवी कम्पोस्टीकरण"**(Aerobic Composting)** से आॅक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(xii). "इक्ठठा करना"**(Collection)** से ठोस अपशिष्ठ को कलेक्शन हेतु निर्धारित स्थलो से/ अन्य स्थलो से इक्ठठा करना/उठाना;

(xiii). "स्त्रोत पर इक्ट्ठा करना"**(Collection at Source)** से ठोस अपशिष्ठ का स्त्रोत (घर-मकान-रास्ते-बाजार-चैक) से इक्ट्ठा करना (point to point collection)

(xiv). "कम्पोस्टीकरण"**(Composting)** से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xv). "कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट"**(Construction and Demolition waste)** से निमार्ण सामग्री का अपशिष्ट, डेब्रीज व डिमोलिशन से निकला मलवा इत्यादि।

(xvi). "द्वार-द्वार संग्रहण"**(Door to door collection)** से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरो से द्वार तक जाकर ठोस अपषिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अंतर्गत किसी आवासीय सोसायटी, द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपषिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत है;

(xvii). "द्वार-द्वार संग्रहण हेतु साधन/वाहन"**(Equipment/Vehicle for Door to door collection of municipal solid waste)** से ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत

साधन/वाहन जैसे कन्टेनराइर्ड व्हील वेरो, कन्टेब्राईडड साईकिल रिक्शा, औटो रिक्शा, औटो टिपर। (गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग इक्ट्ठा करने हेतु)

(xviii). रोयल्टी (Royalty) -से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत रोयल्टी राशि जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा/भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के ग्राही या प्रचालक द्वारा सबन्धित ग्राम पंचायत को दी जाएगी;

(2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयम 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 वायु (जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनयम, 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होगे जो संबंधित अधिनियमों व नियमों में है।

4. ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण .- (i) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित ठोस अपशिष्टों के उद्गम स्थल पर ही पृथ्क-पृथ्क सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करेंगे व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध करवाई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सडकों, मार्गो पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात किसी प्रकार की गन्दगी कूडा-करकट नहीं फैलायें अन्यथा केरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा;

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में उपरोक्त प्रक्रिया की जानकारी नियमित रूप से दी जायेगी।

5. ठोस अपशिष्टों का भण्डारण:- समस्त ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये अन्यत्र माध्यम से ठोस अपषिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगी जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा:-

(i). निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम एक भण्डारण सुविधा होगी। ऐसी भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम 01 किलोमीटर की दूरी होगी;

(ii). ग्राम पंचायत द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूडा-करकट वातावरण में खुले रूप में न हो;

(iii). ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित कूडादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथ्क-पृथ्क कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हंै:-

(A) हरा - जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।

(B) सफेद - पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।

(C) नीला/काला - अन्य साधारण अपषिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूडे/ अपशिष्टों को खाली करने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाईन के वाहन उपयोग में लिये जायेगें।

(iv). पंचायत में स्थित सभी कापरेटिव सोसाईटिज, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवष्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवष्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनरस जिसकी डिजाइन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भांति भण्डारण हो सकें। जिन्हें ग्राम पंचायत के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे ग्राम पंचायत को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगें;

(v). बूचडखानों, मांस-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है। प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा, ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके और इनमें कोई संक्रामक बीमारियां नहीं फैले। इसको सुनिष्चिति करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिष्चित करना होगा अथवा ग्राम पंचायतों द्वारा डोर टू डोर ऐसे अपषिष्टों के संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू प्रक्रिया को अपनाकर इसकी पालना सुनिष्चित करनी होगी अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किये जावेगें अथवा न्यायलय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(vi). जैव चिकित्सीय, अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जावेगा।

(vii). पालतू जानवरों द्वारा रोड/सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी (Poop/ litter/faecal matter) को पालतू जानवरों के मालिकों द्वारा निपटान करना होगा ऐसा नहीं करने पर जुर्माना/केरिंग चार्ज वसूला जावेंगा;

(viii). कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड पानी नाईट सोईल गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गो पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जावेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा;

(ix). कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेषी अथवा उसके अवषेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गन्दगी फैलाते हुऐ पाया जाता है तो दण्डनीय उपराध होगा और उससे केरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा;

7. ठोस अपशिष्ट का संग्रहण - ग्राम पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों या कूडा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गो, निजी खुले स्थलों, चैक, पानी के स्त्रोतो इत्यादि पर गन्दगी कूडा-करकट फैलाते व रखते पाया गया तो ग्राम पंचायत के द्वारा, संलग्न ''अनुसूची-अ'' में घोषित/समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित, उपयोग राशि (User Charges) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने के लिए सक्षम होगा। घरो/व्यवसायिक युनिटों को जारी रसीद मात्र फाइन/जुर्माना/उपयोग राशि (User Charges) वसुली का दस्तावेज है इसका अन्यत्र उपयोग नही होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा इस हेतु:-

(i). ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 की पालना मे घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये "ग्राम पंचायत के सभी वार्डो में समुचित संसाधन लगाकर सुनिश्चित की जावेगी अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहन में गीले एवं सूखे कचरे हेतु अलग-अलग कम्पाटमेन्ट होंगे जिनमें घरों में रखे घरे डिब्बे का गीला कचरा तथा नीले डिब्बे का सूखा कचरा पृथक्-प्थक् इक्कट्ठा कर परिवहन किया जावेंगा। किसी भी स्थिति में गीले एवं सूखे कचरे को मिश्रित होने से रोकना होगा;

(ii). घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक निर्धारित किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता उपकरण/वाहन पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियो को सूचित किया जा सके;

(iii). व्यावसायिक क्षेत्रो मे व्यापारिक प्रतिष्ठानो/दुकानो से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जावेगा।

(iv). घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार उपयोग राशि (User Charges) निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह
1.	घर/आवासीय/रहवास/निवास स्थल	10/-रूपये
2.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खानपान के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकान/ चाय की थड़ी इत्यादि)	150/-रूपये
3.	गेस्ट हाउस,	200/-रूपये
4.	छात्रावास (Hostel) सरकारी	200/- रूपये
5.	छात्रावास (Hostel) निजी	200/- रूपये
6.	रेस्टोरेन्ट (Unstar)	200/- रूपये
7.	होटल रेस्टोरेन्ट (Unstar)	500/- रूपये
8.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star तक)	800/- रूपये
9.	होटल रेस्टोरेन्ट (3 star से अधिक)	1500/- रूपये
10.	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शैक्षणिक संस्थान (निजी एवं सरकारी) इत्यादि	250/- रूपये
15.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	500/- रूपये
16.	क्लीनिक/हास्पीटल (50 बेड तक)	1000/- रूपये

17.	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज (50 बेड से अधिक)	2000/- रूपये
18.	लघु व कुटीर उद्योग वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	400/- रूपये
19.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गेर खतरनाक) अपशिष्ट	800/- रूपये
20.	शादी हाल, उत्सव हाल प्रदर्षनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक	1000/- रूपये
21.	शादी हाल, उत्सव हाल प्रदर्षनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल	3000/- रूपये
24.	अन्य, जो ऊपर चिन्हित नही हैं।	ग्राम पंचायत के आकलन के अनुसार

राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर उक्त दरों में वृद्धि कर सकेगी।

(v) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरो का संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसाद किया जावेगा एवं दरो को पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को उपकरणों/वाहनों पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

(vi) ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित पंचायत समिति के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(vii) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपडी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जावेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सब्सटेन्स के उद्गम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जाया जायेगा।

(viii) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिबद्ध करना आदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान मे रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जा सकेगी।

8. ठोस अपशिष्टों का परिवहन.- अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन (कवर्ड व्हीकल) ऊपर से भली-भांति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गो पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

(i) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूडा-कचरा साफ किया जायेगा। कूडादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।

(ii) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई धराई से बचा जा सकें।

9. ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण.- ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर

विधिवत् आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकां/नयी तकनीकी को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की अनुसूची II के अनुसार किया जावेगा;

10. ठोस अपशिष्टों का व्ययन:- भूमिभरण में जैव अनिम्नीकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्वधित रखा जावेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसस्करण पूर्व छोडे गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाये स्थापित किये जाने तक ग्राम पंचायत अपने लैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमिकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप कर सकेगी।

11. औचक निरीक्षण: ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अपनाई जा रही कार्य प्रणाली का औचक निरीक्षण कर सकेगा। नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं होने की स्थिति में कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी;

12. जनगणना नगरों एवं शहरी समूहों की ग्राम पंचायतों के कर्तव्य एवं उत्त्रदायित्व: जनगणना नगरों एवं शहरी समूहों की समस्त ग्राम पंचायतें:-

(i). राज्य नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करते हुए राज्य द्वारा प्राधिकृत अभिकरण से अनुमोदन करवाना।

(ii). मलिन बस्तियों, वाणिज्यक संस्थान, गैर आवासीय परिसर इत्यादि से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण की व्यवस्था कराना।

(iii). कूडा चुनने वाले तथा अनौपचारिक रूप से अपशिष्ट संग्रहण करने वालों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करना तथा ठोस अपशिष्ट से द्वार-द्वार संग्रहण हेतु उपरोक्त की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(iv). ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में स्वंय सहायता समूह की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(v). उपयुक्त फीस का निर्धारण करना और उसका संग्रहण करना।

(vi). पुर्नचक्रीय अपशिष्टों को संग्रहित करने के लिए सुलभ मार्ग उपलब्ध कराना। जैव अपशिष्ट भण्डारण के लिए हरे रंग के कन्टेनर संग्रहित करना और उसी क्रम में उन चक्रीय सामग्री की छटाई करने के लिए पर्याप्त स्थान तथा उपयुक्त भण्डार सुविधाएं स्थापित करना।

(vii). गलियों, मार्गों में सफाई करने वाले कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करना कि संग्रहित किये गए पेड़ के पत्तों को न जलायें, उनका पृथक भण्डारण करें और ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को अपशिष्ट सौंपें।

(viii). बागवानी, उद्यानों और बगीचों के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रह करना और जहां तक संभव हो उसका प्रसंस्करण पार्को और बगीचों में करना।

(ix). पृथक किए गये जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कंपोस्ट प्लांट, जैव मिथेनिकरण संयंत्र या ऐसी कोई सुविधा तक करना। ऐसे अपशिष्ट के स्थल पर प्रसंस्करण को अधिमान्यता दी जानी चाहिए।

(x). निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समय-समय पर यथासंशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना।

(xi). दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्व रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों, बगीचों में कंपोस्ट का प्रयोग करना और जहां कहीं संभव हो इसके अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना अनौपचारिक अपशिष्ट पुर्नचक्रण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली पुर्नचक्रण पहलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(xii). वार्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त उपबंध करना।

(xiii). अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंध का प्रशिक्षण देना।

12. अभियोजन/शास्तियां:- किसी भी उपविधि की पालना नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमो के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगी। साथ ही ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अपनी अनुशंषा भी सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर सकेगी, जिन्होने कैरिंग चार्ज वसूल करने में कोई अनियमितता अथवा लापरवाही बरती हो। ग्राम पंचायत के द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड(यच) (zf) के अन्तर्गत अनुसूची-"अ" में निर्धारित जुर्माना मौके पर वसूल कर सकेगा।

13. कठिनाईयों का निराकरणः- जब कभी इन उप विधियों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

"अनुसूची - अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किये गए प्रथम कृत्य के लिए निम्नांकित निर्धारित मौके पर जुर्माना वसूली योग्य

क्र.सं.	कृत्य	जुर्माना राशि
1.	रहवासीय भवनों के निवासियों द्वारा रोड/गली में कचरा फैलाने (Littering) पर	100 रूपये प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	100 रूपये प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेन्ट मालिकों खुला कचरा डालने	200 रूपये प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	200 रूपये प्रतिदिन
5.	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	200 रूपये प्रतिदिन
6.	हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	200 रूपये प्रतिदिन
7	सार्वजनिक स्थानों/रोड/गली में गंदगी (Littering) करने पर	
	(i) थूकने पर	50 रूपये एक बार

	(ii) खुले में नहाने पर	50 रूपये एक बार
	(iii) खुले में पेशाब करने पर	50 रूपये एक बार
	(iv) खुले में शौच करने पर	100 रूपये एक बार
	(v) गोबर डालने पर	200 रूपये एक बार
8.	कचरे के पृथक्कीकरण ; (segregation) भण्डारण (storage) delivery एवं इक्कठा (Collection) करने में उल्लघंन पर	
	(i) घरो द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नहीं किये जाने पर	50 रूपये प्रतिदिन
	(ii) बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्ट्ठा नहीं किये जाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
	(iii) बायो डिगेडेबल कचरे को पृथक से नहीं देने पर	50 रूपये प्रतिदिन
	(iv) सुखे कचरे को पृथक से नही देने पर	50 रूपये प्रतिदिन
	(v) गार्डन वेस्ट/पेडों की छटाई के वेस्ट को नहीं देने पर	50 रूपये प्रतिदिन
	(vi) कचरा जलाने पर	100 रूपये प्रतिदिन
	(vii) दुकान दारो Vendor/hawker को बिना कचरापात्र के पाये जाने पर	150 रूपये प्रतिदिन
	(viii) दुकान-दारों Vendor/hawker को पृथक कर नहीं देने पर	150 रूपये प्रतिदिन
	(ix) पालतू जानवरो के मालिकों द्वारा पालतू जानवरों से कचरा फैंलाने व खुले में शौच कराने पर	200 रूपये प्रतिदिन
9.	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	200 रूपये प्रतिदिन
10.	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सडकों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
11.	सरकारी भवनो, चैराहों एवं गाँवो की दीवारों पर निजी वाणिज्यक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	200 रूपये प्रतिदिन
12.	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	200 रूपये प्रतिफिट
13.	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सडक पर करने पर	200 रूपये प्रतिदिन
14.	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	200 रूपये प्रतिदिन

15.	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायिक द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित करने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग किये जाने हेतु आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	200 रूपये प्रतिदिन
16.	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायिकों द्वारा सडक पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिटटी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	200 रूपये प्रतिदिन
17.	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
18.	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड, ऊंट, गधा, घोडे, सुअर, इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
19.	विवाह स्थलों द्वारा बाहर कचरा डालने पर	200 रूपये प्रतिदिन
20.	आम रास्ता, सडक पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
21.	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	50 रूपये प्रतिदिन
22.	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सडक पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100 रूपये प्रतिदिन
23.	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	200 रूपये प्रतिदिन।
24.	आम रास्ता,3 सडक, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
25.	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्ता, सडक व फुटपाथ पर गन्दगी फैलाने पर	200 रूपये प्रतिदिन
26.	संस्थान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान (शैक्षणिक संस्थान, ऑफिस, होटल, दुकान, रेस्टोरेन्ट, मिठाई दुकान, ढाबा, मन्दिर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, मेरिज हॉल, मेरिज गार्डन, बेक्वेट हॉल इत्यादि द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	200 रूपये प्रतिदिन।
27.	व्यक्तियों/घरो तथा दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने	200 रूपये प्रतिदिन।

	पर	
28.	प्लास्टिक कचरा जलाने पर	100 रूपये प्रतिदिन
29.	प्लास्टिक कैरी बेग को उपयोग करते पाये जाने पर	50 रूपये प्रतिदिन
30.	विक्रय/भण्डारण	200 रूपये प्रतिदिन

उपरोक्तानुसार जुर्माना राशि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-62 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई है। धारा-62 में संशोधन होने की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर उक्त जुर्माना राशि का पुर्ननिर्धारण कर सकेगी।

नोटः-

1. अनुसूची-अ में उपविधियों के उल्लंघन में किये गये प्रथम कृत्य के लिए निर्धारित जुर्माना राशि द्वितीय कृत्य के लिए दुगनी वसूल की जायेगी तथा तृतीय कृत्य के लिए जुर्माना राशि तिगुनी वसूल की जावेगी। तृतीय उल्लंघन के पश्चात् संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत अभियोजन की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावेगी।

2. अनुसूची-अ में उल्लेखित तृतीय कृत्य के पश्चात् जिस स्थल पर उपविधियों के उल्लंघन में कृत्य किया गया है, उस स्थल ठेला, दुकान, भण्डार स्थल इत्यादि को सीज किया जावेगा एवं प्रतिबंधित वस्तुओ को नष्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

3. इन जैसलमेर ज़िला परिषद् (ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन) उपविधियाँ, 2019 की अपेक्षा राज्य सरकार के पत्र क्र0 एफ.4(7)अपशिष्ट प्रबन्ध/विधि/पंरा/2019/1765 दिनांकः 29.08.2019 द्वारा की गई तथा ज़िला परिषद की साधारण सभा की बैठक दिनांक 04.09.2019 में प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है ।

आज्ञा से,
ओमप्रकाश,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सचिव, ज़िला परिषद्, जैसलमेर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।